(263)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन,प्रथम तल,सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,देहरादून
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन नं0(0135) – 2713551

संख्या 3554 XXV–12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 04 जुलाई, 2024

पंजीकृत

सेवा में,

श्री रामजी शरण शर्मा,
तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वि./स.)
देहरादून/नोडल ईवीएम पोस्टल बैलट ईटीबीपीएस
हाल संबद्व कार्यालय अपर मुख्य सचिव कार्मिक
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

विषय– सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र 01/आर.टी.आई./24 दिनांक 07 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय में दिनांक 07.06.2024 को मु0 10/–नकद के रूप में प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा बिन्दु सं0–01 से 08 तक की सूचना चाही गयी है।

उक्त के कम में बिन्दु संख्या–01 से 08 तक की सूचना (तेरह पृष्ठों में) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
चिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

भवदीय,

Signed by Basant Singh Rawat
Date: 04-07-2024 14:11:45
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

(1)

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 31/05/24
रजिस्टर क्रमांक– 1613 पत्रावली संख्या– 107

::आदेश::

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–1 के आदेश संख्याः– 492/XXX-1-2024 दिंनाक 30.05.2024 के द्वारा श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून को वर्तमान पदभार से अवमुक्त कर अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय में सम्बद्ध किये जाने के फलस्वरूप श्री रामजी शरण शर्मा को आज दिनांक 31.05.2024 की पूर्वान्ह इस जनपद से कार्यमुक्त किया जाता है।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या : 5779 /सीपीओ–डीएम–2024 दिनांक :31, मई, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, (कार्मिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
6– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून।
7– श्री रामजी शरण शर्मा (पी0सी0एस0)।
8– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद देहरादून।
9– इरला चैक अनुभाग–उत्तराखण्ड, देहरादून।
10–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
11–प्रभारी अधिकारी (बिल्स), कलेक्ट्रेट, देहरादून।
12–व्यक्तिगत पत्रावली सम्बन्धित अधिकारी।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

Jt/Dy. CEO

Addl. CEO
☐ अति महत्वपूर्ण ☐ महत्वपूर्ण
☐ सामान्य ● समय सीमा ....
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

A-CEO

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

S.O
31/5

(2)

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 31/05/24
रजिस्टर क्रमांक–1621 पत्रावली संख्या–

106

::आदेश::

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–1 के आदेश संख्या:– 492/XXX-1-2024 दिंनाक 30.05.2024 के परिपालन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून का पदभार अग्रिम आदेशो तक श्री जय भारत, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून को अंतिरिक्त प्रभार के रूप में सौपा जाता है, जिसके लिए पृथक से कोई वेतन भत्ता देय नही होगा।

(सौनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या : 4780 /सीपीओ–डीएम–2024 दिनांक : 31, मई, 2024

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, (कार्मिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
6– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून।
7– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद देहरादून।

Addl. CEO

☐ अति महत्वपूर्ण ☐ महत्वपूर्ण
☐ सामान्य ● समय सीमा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

जिलाधिकारी,
देहरादून।

Jt./Dy. CEO

(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

A. CEO

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

SO

3/5

प्राप्त – 29/5/24

(3)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या–1823/निर्वाचन–2024

दिनांक 28, मई, 2024

(108)

श्री रामजी शरण शर्मा,
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
नोडल अधिकारी–EVM & VVPATs
देहरादून।

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक–29/05/24
रजिस्टर क्रमांक–1819 पत्रावली संख्या–

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने पत्र संख्याः–194/25–33/2024 दिनांक 16.05.2024 का संदर्भ लें, जो लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु Category C & D तथा मतगणना के पश्चात वीवीपीएटी के भण्डारण के सम्बन्ध में है, जिसको निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से आज दिनांक 28.05.2024 को प्रस्तुत किया गया है। जबकि इसे बैठक अथवा कार्यालय प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। किन्तु आपके द्वारा ऐसा नही किया गया, जो गैर–जिम्मेदाराना कृत्य है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने पदेन दायित्वों तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन के प्रति कदापि गम्भीर नही है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में लौटती डाक से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(सोनिका),
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Addl. CEO
☐ अति महत्वपूर्ण ☐ महत्वपूर्ण
☐ सामान्य ● समय सीमा ....
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Jt CEO
(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

A- CEO
(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

SO

(4)

(51)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–01
संख्या–492-XXX-1-2024
देहरादून:दिनांक 30 मई, 2024

–:स्थानान्तरण / तैनाती:–

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 संबंधी कार्यों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये, तत्काल प्रभाव से श्री रामजी शरण शर्मा(पी0सी0एस0), अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), देहरादून को उनके वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुये, उन्हें अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।

2. श्री रामजी शरण शर्मा (पी0सी0एस0) किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना उक्त पदभार से अवमुक्त होकर, तद्नुसार आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त आदेश भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–434 / ECI/UKD-HP/2024/NS-II, दिनांक 29.05.2024 द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/5/24

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0), देहरादून का पदभार अपने स्तर से किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंपते हुये तद्नुसार शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. संबंधित अधिकारी।
7. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत / अधिष्ठान पत्रावली।
8. गार्ड फाईल।

30.05.24
(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

Establishment

(5) (48)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 3187 /XXV – 07/ 2023 देहरादून : दिनांक 30 मई, 2024

सेवा में,

"गोपनीय"
निर्वाचन–आवश्यक

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) देहरादून (नोडल ऑफिसर PB/EVM/PS) के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून एवं रिटर्निगं आफिसर 01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–4764/सीपीओ/2022–23 दिनांक 03 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया कि, श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी देहरादून की पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता तथा कार्य–व्यवहार से निर्वाचन जैसे समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्यों की निष्पक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सुरक्षा में व्यवधान होने की आशकांओ से इंकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप इनके विरूद्ध निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के साथ–साथ इन्हें जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया है। **(संलग्नक–1)**

3– जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून/रिटर्निगं आफिसर के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–2974 दिनांक 15 मई, 2024 तथा पत्र संख्या–3036 दिनांक 21 मई, 2024 के द्वारा प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु संस्तुति प्रेषित की गयी। **(संलग्नक–क्रमशः 2 एवं 3)**

4– उक्त के आलोक में आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–434/ECI/UKD-HP/2024/NS-II दिनांक 29 मई, 2024 **(संलग्नक–4)** के द्वारा श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी देहरादून को जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने के साथ–साथ उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः अनुरोध है कि, निर्वाचन कार्यों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश/अनुमोदन दिनांक 29 मई, 2024 के आलोक में श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी देहरादून को जनपद से तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित करने के साथ–साथ उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(डा. बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(6)

(47)

Speed Post/E-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

(Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.)

F.No.434/ECI/UKD-HP/2024/NS-II Dated: 29 May, 2024

To

The Chief Electoral Officer
Uttarakhand
Dehradun.

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक- 29/05/24
रजिस्टर क्रमांक- 576 पत्रावली संख्या-

Sub: General Election to Lok Sabha, 2024: Additional District Magistrate (F/R) Dehradun and Nodal Officer for PB/EVM/PS-reg. - reg.

Sir,

I am directed to refer to your letters No. 2974/XXV-07/2023, dated 15 May, 2024 and No. 3036/XXV-07/2023, dated 21 May, 2024 on the subject and to state that the Commission has no-objection to the proposal made therein.

Yours faithfully,

(K. P. Singh)
Secretary
011-23052113

(7)

(46)

ELE-EST/ENQ/1/2024-ELECT-1-Election Department

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

I/212566/2024

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 3036 /XXV – 07 / 2023 देहरादून : दिनांक 21 मई, 2024

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़
नई दिल्ली।

"गोपनीय"

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) देहरादून (नोडल ऑफिसर PB/EVM/PS) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या–437 / ECI/UKD-HP/NS-II/2024 दिनांक 20 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें इस कार्यालय के पत्र संख्या–2974 दिनांक 15 मई, 2024 के आलोक में टिप्पणी आयोग को प्रेषित करने की अपेक्ष की गयी है।

2– उक्त संबंध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में जनपद देहरादून की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि. /रा.) श्री रामजी शरण शर्मा की निर्वाचन कार्यों के प्रति उदासीनता देखी गयी अर्थात कार्यों के प्रति उनकी तैयारियां अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गयी।

अतः उक्त के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून एवं रिटर्निंग आफिसर, 01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उक्त संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 03 मई, 2024 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या–2974 दिनांक 15 मई, 2024 के द्वारा अपर जिलाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के साथ–साथ जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की पूर्व ही संस्तुति की जा चुकी है।

भवदीय

(डा. बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

Signed by Basava Venkata
Rama Chandra Purushottam
Date: 21-05-2024 10:56:25

(45)

By-email/speed post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001.

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 437/ECI/UKD-HP/NS-II/2024 **Dated: 28th May, 2024**

To,

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand,
Dehradun.

Subject: **लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, अपर जिलाधिकारी (वि. /स.) देहरादून (नोडल ऑफिसर (PB/EVM/PS) के संबंध में ।**

Sir,

I am directed to refer to your letter no. 2974/XXV-07/2023, dated 15 May, 2024 on the subect cited above it is request to kindly furnish your comments to the Commission.

Yours faithfully,

(K.P. SINGH) 20.5.2
SECRETARY

(9) (54)

ELE-EST/ENQ/1/2024-ELECT-1-Election Department

I/211396/2024

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

election09@gmail.com फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 2974 **/XXV – 07 / 2023 देहरादून : दिनांक** 15 **मई, 2024**

सेवा में,

प्रधान सचिव, **"गोपनीय"**

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़

नई दिल्ली।

विषयः– **लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) देहरादून (नोडल ऑफिसर PB/EVM/PS) के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून एवं रिटर्निंग आफिसर 01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–4764 / सीपीओ / 2022–23 दिनांक 03 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि :–

2– जनपद में अपर जिलाधिकारी (वि. / रा.) के पद पर कार्यरत श्री रामजी शरण शर्मा जो कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 में PB/EVM/PS के नोडल अधिकारी भी नियुक्त हैं, का कार्य एवं व्यवहार कदापि शासकीय हित में नहीं है। प्रायः निर्वाचन की बैठकों में प्रतिभाग न करने, विलम्ब से उपस्थित होने, सौंपे गए दायित्वों को गम्भीरता से न लेने एवं कार्यों को अनावश्यक रूप से अपने स्तर पर लम्बित रखने की इनकी मुख्य प्रवृत्ति है, जिसके लिए समय–समय पर इनका स्पष्टीकरण भी लिए जाते रहे है (प्रति संलग्न)। चूँकि वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 की प्रक्रिया गतिमान व दिनांक 04.06.2024 को मतगणना निर्धारित है, किन्तु इनके कार्य–व्यवहार से निर्वाचन जैसे समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्यों की निष्पक्षता, पारदर्शिता, समग्रबद्धता एवं सुरक्षा में व्यवधान होने की आशकांओ से इंकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप इनके विरूद्ध निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के साथ–साथ इन्हें जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून एवं रिटर्निंग आफिसर, 01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उक्त संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 03 मई, 2024 की प्रति संस्तुति सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि, कृपया प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेने का कष्ट करें एवं संबंधित अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही पर आयोग के अनुमोदन से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त। **भवदीय**

Signed by Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 15-05-2024 15:47:37
Reason: Approved

(डा. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(10)

सोनिका
आई.ए.एस.

उत्तराखण्ड शासन

अर्धशासकीय पत्र संख्या 4764 सी.पी.ओ./2022-23
जिला अधिकारी
देहरादून
दिनांक: 3.5.2024

आदरणीय महोदय,

अवगत कराना है कि इस जनपद में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के पद पर कार्यरत श्री रामजी शरण शर्मा जो कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 में PB/EVM/PS के नोडल अधिकारी भी नियुक्त है, का कार्य एवं व्यवहार कदापि शासकीयहित में नही है। प्रायः निर्वाचन की बैठको में प्रतिभाग न करने, विलम्ब से उपस्थित होने, सौपे गये दायित्वों को गम्भीरता से न लेने एवं कार्यो को अनावश्यक रूप से अपने स्तर पर लम्बित रखने की इनकी मुख्य प्रवृत्ति है, जिसके लिए समय–समय पर इनके स्पष्टीकरण भी लिये जाते रहे है (प्रति संलग्न)। चूँकि वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2024 की प्रकिया गतिमान व दिनांक 04.06.2024 को मतगणना निर्धारित है, किन्तु इनके कार्य–व्यवहार से निर्वाचन जैसे समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्यो की निष्पक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सुरक्षा में व्यवधान होने की आशंकाओं से इंकार नही किया जा सकता है। **फलस्वरूप इनके विरूद्ध निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ इन्हें जनपद से अन्यत्र स्थानान्तिरत किया जाना आवश्यक हो गया हैं।**

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देहरादून/नोडल अधिकारी–PB/EVM/PS के विरूद्ध निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधानों के अन्तर्गत आयोग स्तर से कार्यवाही तथा इनका अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने हेतु आयोग स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीया,

(सोनिका)
जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून/
रिटर्निंग अधिकारी
01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

सेवा में,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0पुरूषोत्तम,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

(11)

(42)

निर्वाचन/आवश्यक

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या :4730/ –2024 दिनांक : 18 ,मार्च, 2024

श्री रामजी शरण शर्मा,
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
देहरादून।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के मतदान कार्मिकों का आज दिनांक 18.03.2024 को निम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित था। किन्तु उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप उपलब्ध नहीं थे और काफी विलम्ब से उपस्थित हुये। EVM/VVPAT के प्रशिक्षण/रख–रखाव संबंधी प्रकिया अत्यधिक संवेदनशील है। प्रशिक्षण के दौरान EVM/VVPAT का MOVEMENT/रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। किन्तु अत्यन्त खेदजनक है कि उक्त प्रशिक्षण में आप ना तो स्वयं उपस्थित थे और ना ही किसी को इस संबंध में सूचना दी गई है। आपको पूर्व में भी नोटिस निर्गत किया गया है, इसके उपरान्त भी आप निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उदासीनता अपनाये हुये है, जो कि कदापि उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त के संबंध में लौटती डाक से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ?

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

18/3/24

Priyanka
18/3/2024

(12)

निर्वाचन/आवश्यक

(41)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या : 4736/ —2024 दिनांक : 17 ,मार्च, 2024

श्री रामजी शरण शर्मा,
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
देहरादून।

आज दिनांक 17.03.2024 को 12:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून की अध्यक्षता में निर्वाचन से संबंधित बैठक निर्धारित थी। आप PB/EVM/PS के नोडल अधिकारी है। बैठक की जानकारी हेतु आपको फोन किया गया, परन्तु आपने न तो फोन उठाया और ना ही Call back की गई। यहाँ तक कि आपके द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बैठक में प्रतिभाग भी नहीं किया गया, जो कि एक वरिष्ठतम अधिकारी होते हुये अत्यन्त खेदजनक व निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य के प्रति लापरवाही/उदासीनता का द्योतक है।

अतः उपरोक्त के संबंध में लौटती डाक से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ?

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि :— मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

(15)

(40)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या : 4694 –2024

दिनांक 04, जनवरी, 2024

श्री रामजी शरण शर्मा,
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),
देहरादून।

प्रायः यह देखा गया है कि जब कभी शासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु आपसे सम्पर्क करने का प्रयास किया जाता है, तो आप कार्यालय से अन्यन्त्र होने बताये जाते है। जबकि इस विषयक कोई अनुमोदन आपके द्वारा प्राप्त नही किया जाता है और न ही इसकी कोई सूचना दी जाती है। भविष्य में जब कभी कार्यालय छोड़ना अपरिहार्य हो तो इसका अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय कदापि न छोड़ा जाय।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

Scanned with CamScanner

प्राप्त
BE
7.6.2024
SO
PIO

पत्रांक 01/आर.टी.आई./24

दिनांक 07 जून 2024

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 10/06/24
रजिस्टर क्रमांक– 1934 पत्रावली संख्या–

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखंड,
देहरादून।

विषयः– सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया निम्न बिंदुओं पर अधोहस्ताक्षरी को सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. अधोहस्ताक्षरी जनपद देहरादून में 04 मार्च 2023 से दिनांक 31 मई 2024 तक अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व देहरादून के पद पर तैनात था। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अधोहस्ताक्षरी को Nodal EVM का दायित्व सौंपा गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन के संबंध में जनपद देहरादून में प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम के न पहुँचने, ईवीएम भंडारण, ईवीएम मूवमेंट की SOP का अनुसरण न किये जाने, ईवीएम रेंडमाईजेशन, ईवीएम कमीशनिंग, ईवीएम डिस्ट्रीब्यशन के संबंध में तथा निर्वाचन के प्रभावित होने की कोई शिकायत किसी भी स्तर पर आई है तो प्रमाणित प्रतियां देने का कष्ट करें।
2. बिंदु कं एक में वर्णित दस्तावेज यदि आपके कार्यालय में दस्ती प्राप्त हुये हैं तो उस पृष्ठ की प्रति जिसमें डाक प्राप्तियां होती हैं यदि ईमेंल के माध्यम से प्राप्त हुये हैं तो डेट एवं टाईम लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल प्राप्तियों की प्रमाणित प्रतियां।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून द्वारा बिंदु कं 01 में वर्णित बिंदुओं पर भारत निर्वाचन आयोग को जो भी पत्राचार किया है उस डाक प्रेषण रजिस्टर पृष्ठ की छायाप्रतियां यदि ईमेल के माध्यम से प्रेषित कियाा है तो डेट एवं टाइम लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल की प्रतियां।
4. अधोहस्ताक्षरी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी पत्र प्राप्त हुये हैं उनकी प्रमाणित प्रतियां यदि ईमेल से प्राप्त हैं तो डेट एवं टाईम लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल प्राप्ति की प्रमाणित प्रतियां।
5. दिनांक 17 मार्च 2024 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून जिलाधिकारी देहरादून के साथ हुई बैठक की सूचना संबंधी प्रमाणित प्रति।

R04
BE
SO

Jt./DY. CEO

A. CEO

Addl. CEO

☐ अति महत्वपूर्ण ☐ महत्वपूर्ण
☐ सामान्य ● समय सीमा ....

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

10/6/24
(मुक्ता मिश्र)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

S.O
19/6

6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून को संबोधित पत्रों का जिस पत्रावली में निस्तारण किया गया है उस पत्रावली को समस्त नोटिंग ड्राफटिंग टिप्पणियों की प्रमाणित प्रतियां प्रदा़न करने का कष्ट करें।

7. उपरोक्त बिंदु 05 के निस्तारण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी को सूचित कोई पत्र यदि प्रेषित किया गया है तो प्रेषण रजिस्टर के पृष्ठ की प्रति यदि ईमेल से प्रेषित किये गये हैं तो डेट एवं टाईन लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल प्रेषण की प्रमाणित प्रतियां।

8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी का पक्ष जानने के लिये जो भी पत्राचार किया है उसकी प्रमाणित प्रतियां ।

इस संबंध में जो भी शुल्क होगा वह नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी अदा करने के लिये तत्पर है

संलग्न—दस रूपये नकद

रामजी शरण शर्मा,
तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वि. / रा.)
देहरादून / नोडल ईवीएम पोस्टल बैलट ईटीबीपीएस
हाल संबद्ध कार्यालय अपर मुख्य सचिव कार्मिक
उत्तराखंड शासन देहरादून।

प्राप्त
BE
7.6.2024
SO
P11

पत्रांक 01/आर.टी.आई./24

दिनांक 07 जून 2024

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखंड,
देहरादून।

विषयः– सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया निम्न बिंदुओं पर अधोहस्ताक्षरी को सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. अधोहस्ताक्षरी जनपद देहरादून में 04 मार्च 2023 से दिनांक 31 मई 2024 तक अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व देहरादून के पद पर तैनात था। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अधोहस्ताक्षरी को Nodal EVM का दायित्व सौंपा गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन के संबंध में जनपद देहरादून में प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम के न पहुँचने, ईवीएम भंडारण, ईवीएम मूवमेंट की SOP का अनुसरण न किये जाने, ईवीएम रेंडमाईजेशन, ईवीएम कमीशनिंग, ईवीएम डिस्ट्रीब्यशन के संबंध में तथा निर्वाचन के प्रभावित होने की कोई शिकायत किसी भी स्तर पर आई है तो प्रमाणित प्रतियां देने का कष्ट करें।
2. बिंदु क्रं एक में वर्णित दस्तावेज यदि आपके कार्यालय में दस्ती प्राप्त हुये हैं तो उस पृष्ठ की प्रति जिसमें डाक प्राप्तियां होती हैं यदि ईमेंल के माध्यम से प्राप्त हुये हैं तो डेट एवं टाईम लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल प्राप्तियों की प्रमाणित प्रतियां।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून द्वारा बिंदु क्रं 01 में वर्णित बिंदुओं पर भारत निर्वाचन आयोग को जो भी पत्राचार किया है उस डाक प्रेषण रजिस्टर पृष्ठ की छायाप्रतियां यदि ईमेल के माध्यम से प्रेषित कियाा है तो डेट एवं टाइम लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल की प्रतियां।
4. अधोहस्ताक्षरी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी पत्र प्राप्त हुये हैं उनकी प्रमाणित प्रतियां यदि ईमेल से प्राप्त हैं तो डेट एवं टाईम लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल प्राप्ति की प्रमाणित प्रतियां।
5. दिनांक 17 मार्च 2024 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून जिलाधिकारी देहरादून के साथ हुई बैठक की सूचना संबंधी प्रमाणित प्रति।

6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून को संबोधित पत्रों का जिस पत्रावली में निस्तारण किया गया है उस पत्रावली को समस्त नोटिंग ड्राफटिंग टिप्पणियों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का कष्ट करें।
7. उपरोक्त बिंदु 05 के निस्तारण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी को सूचित कोई पत्र यदि प्रेषित किया गया है तो प्रेषण रजिस्टर के पृष्ठ की प्रति यदि ईमेल से प्रेषित किये गये हैं तो डेट एवं टाईम लॉग प्रदर्शित करते हुये ईमेल प्रेषण की प्रमाणित प्रतियां।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी का पक्ष जानने के लिये जो भी पत्राचार किया है उसकी प्रमाणित प्रतियां ।

इस संबंध में जो भी शुल्क होगा वह नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी अदा करने के लिये तत्पर है

संलग्न—दस रूपये नकद

रामजी शरण शर्मा,
तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
देहरादून/नोडल ईवीएम पोस्टल बैलट ईटीबीपीएस
हाल संबद्ध कार्यालय अपर मुख्य सचिव कार्मिक
उत्तराखंड शासन देहरादून।